निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज.)

प्रकरण सख्याः– 23/2011(अपील)
दायर दिनांकः– 08/08/2011
निर्णय दिनांकः– 08/01/2025

अनवान

अनवान

1. देवा पिता हजारीराम जाति गुर्जर निवास कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द फौत जरिये विधिक वारीसान
   1. कंकु पत्नी स्व0 देवा गुर्जर निवासी कुआंथल
   2. गेहरीलाल पिता स्व0 देवा गुर्जर निवासी कुआंथल
   3. सोहन लाल पिता स्व0 देवा गुर्जर निवासी कुआंथल
   4. मोती लाल पिता स्व0 देवा गुर्जर निवासी कुआंथल
   5. हरीलाल पिता स्व0 देवा गुर्जर निवासी कुआंथल
   6. लक्ष्मीदेवी पुत्र स्व0 देवा गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
   7. सीता पुत्र स्व0 देवा गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अपीलान्ट

बनाम

1. सरंपच ग्राम पंचायत कुआंथल तहसील देवगढ़
2. चतरा पिता काना गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान फौत जरिये विधिक प्रतिनिधि
   1. भोली बाई पत्नी चतरू गुर्जर निवासी कुआंथल
   2. सुखलाल पिता चतरू गुर्जर निवासी कुआंथल
   3. श्रवण लाल पिता चतरू गुर्जर निवासी कुआंथल
   4. मीरा पुत्री चतरू गुर्जर निवासी कुआंथल हाल पत्नि नारूलाल गुर्जर निवासी गुणिया तहसील देवगढ़
3. नाथु पिता काना गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़
4. मिठालाल पिता भूरा निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़
5. घीसी पुत्री भूरा पत्नी गोपी लाल निवासी गुणिय तहसील देवगढ़
6. उदयराम पिता भूरा निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

रेस्पोडेन्टगण

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 246/103 दिनांक 11.04.1963 ग्राम पंचायत कुआंथल

: : निर्णय : :

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता के अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 246/103 दिनांक 11.04.1963 ग्राम पंचायत कुआंथल के प्रस्तुत की गई कि ग्राम कुऑथल तहसील देवगढ में स्थित खसरा नं 1083 रकबा 17 विस्वा, खसरा न. 1473 रकबा 9 विस्वा खसरा नं. 1548 रकचा 1 बिधा 4 विस्वा खसरा न. 1476 रकबा 1 बिधा 9 विस्वा खसरा न. 1478 रकबा 1 बिघा 7 विस्वा खसरा न. 1068 रकबा 11 विस्वा खरारा न. 1075 रकवा 19 विस्वा कुल किता 7 रकबा 6 बिघा 16 विस्वा होकर मेरे पिता हजारी पिता हेगा जी गुर्जर निवासी कुऑथल के नाम दर्ज थी। तथा उक्त भूमि पर मेरे पिता के समय से ही मेरा कब्जा कास्त चला आ रहा है। दिनांक 11/4/1962 ग्राम पंचायत कुऑथल द्वारा एक नागान्तस्करण मुझ अपीलान्ट के पिता की भूमि का विधीक विरुद्ध तरीके से बंटवारा करते हुये नामान्तरकरण पंजीका में मेरे पिता की भूमि काना पिता हेमा गुर्जर तथा भुरा रामा, हजारी पिता हेमा गुर्जर के नाम नामान्तरकरण खोल दिया गया उक्त नामान्तकरण जो ग्राम पंचायत कुऑथल द्वारा पारित किया गया जिसका नामान्तरकरण पंजीका मे नामान्तरकरण सं. 246/ 103 दर्ज हो। पटवार हल्का कुआँथल की सहमति से उक्त भूमि का विधी विरुद्ध तरीके से 'बंटवारा कर दिया गया। जबकि नामान्तरण में न तो पंचायत न ही पटवारी का बटवारा करने का अधिकार था। ग्राम पंचायत कुऑथल के सरपंच एवं पंचायत सदस्यों ने अवैध तरीका अपनाते हुये नामान्तकरण में मेरे पिता की भूमि का बंटवारा कर अन्य व्यक्तियों जो रेस्पोडेन्ट सं. 2 से लगायत 6 के पिता के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि भूमि मेरे पिता की होकर मेरे पिता उस समय जिवित थे नामान्तरकरण में बंटवारा करने का ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नहीं है न ही उक्त नामान्तरकरण मे विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये मुझ प्रार्थी के पिता को सुना गया न ही उनकी उपस्थिति मे उक्त नामान्तररकण पारित किया गया। ग्राम पंचायत कुऑथल ने मिलीभगत करते हुये जो अवैध नामान्तरण खोला है वह शुरु से ही गलत हो मेरे पिता की भूमि का गलत रुप से बंटवारा कर दिया गया जो विधि विरुद्ध है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

अपील में वर्णित आराजीयात श्री हजारी के स्वर्गवास के बाद मुझ अपीलान्टस के खाते में है या नहीं इसकी जानकारी हम अपिलान्टस को हल्का पटवारी से पुछने पर दिनांक 13ध07ध2011 को हुई व उस रोज बाद हल्का पटवारी से नियमानुसार नामान्तरणकरण की नकल दिनांक 14ध7ध2011 को लेकर आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है जो मियाद अधिनियम कि धारा 5 की सीमा में सीमायत है। इस दिनांक से पूर्व मुझ प्रार्थी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। उक्त भूमि पर शुरु से ही मुझ प्रार्थी का कब्जा रहा। अपील की जानकारी दिनांक 13/7/2011 से आज दिनांक 22/7/2011 को अन्दर अवधि मियाद अधिनियम की धारा 5 की सीमा में सीमायत है जिसके बाबत् अलग से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। आराजियात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिये उक्त अपील न्यायालय आप में श्री क्षेत्राधिकार व अवणाधिकार प्राप्त है। अपील न्यायोचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है। उक्त अनवान की अपील किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील नामान्तरकरण सं.० 246/103 दिनांक 14/6/62 ग्राम पंचायत कुऑथल द्वारा जो विधी विरुद्ध खोला गया है उसे निरस्त फरमाया जावे व श्रीमान तहसीलदार सा० देवगढ़ को आदेश बक्षाया जावे की अपील में वर्णित आराजियात ग्राम कुऑथल तह० देवगढ़ के खसरा नं 1083 रकबा 17 विस्वा खसरा न 1473 रकबा 9 विस्वा खसरा न. 1548 रकबा 1 बिघा 4 विस्वा खसरा न. 1476 रकबा 1 बिधा 9 विस्वा खसरा न. 1478 रकबा 1 विधा 7 विस्वा खसरा न. 1068 रकबा 11 विस्वा खसरा न 1075 रकबा 19 विस्वा कुल किता 7 रकबा 6 बिघा 16 विस्वा की भूमि मुझ अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से लगायत 06 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का जवाब बन्द करने के आदेश दिये गए।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

अपीलान्ट्स पक्ष की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया ग्राम कुआँथल तहसील देवगढ में स्थित खसरा नं 1083 रकबा 17 विस्वा, खसरा न. 1473 रकबा 9 विस्वा खसरा नं. 1548 रकचा 1 बिघा 4 विस्वा खसरा न. 1476 रकबा 1 बिघा 9 विस्वा खसरा न. 1478 रकबा 1 बिघा 7 विस्वा खसरा न. 1068 रकबा 11 विस्वा खरारा न. 1075 रकवा 19 विस्वा कुल किता 7 रकबा 6 बिघा 16 विस्वा होकर मेरे पिता हजारी पिता हेमा जी गुर्जर निवासी कुआँथल के नाम दर्ज थी। तथा उक्त भूमि पर मेरे पिता के समय से ही मेरा कब्जा कास्त चला आ रहा है। दिनांक 11/4/1962 ग्राम पंचायत कुआँथल द्वारा एक नागान्तस्करण मुझ अपीलान्ट के पिता की भूमि का विधीक विरुद्ध तरीके से बंटवारा करते हुये नामान्तरकरण पंजीका में मेरे पिता की भूमि काना पिता हेमा गुर्जर तथा भुरा रामा, हजारी पिता हेमा गुर्जर के नाम नामान्तरकरण खोल दिया गया उक्त नामान्तकरण जो ग्राम पंचायत कुआँथल द्वारा पारित किया गया जिसका नामान्तरकरण पंजीका मे नामान्तरकरण सं. 246/103 दर्ज हो। अपील नामान्तरकरण संख्या 246/103 दिनांक 14/06/62 ग्राम पंचायत कुआंथल को निरस्त फरमाया जाना आवश्यक है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

1. **राजेन्द्र यादव बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**

न्यायालयः राजस्थान उच्च न्यायालय

निर्णय दिनांकः 28 अगस्त, 2017

सारांशः न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता ने देरी के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया, अतः धारा 5 के अंतर्गत देरी क्षमा नहीं की गई और अपील खारिज कर दी गई।

2. **रामदवाल राय बनाम मोस्ट. राजपति और अन्य**

न्यायालयः पटना उच्च न्यायालय

निर्णय दिनांकः 6 सितंबर, 1980

सारांशः न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत कारण अपर्याप्त हैं, अतः धारा 5 के अंतर्गत देरी क्षमा नहीं की गई और अपील खारिज कर दी गई।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

Balwant Singh (Dead) बनाम Jagdish Singh & Ors-(2010) 8 SCC 685

निर्णयः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "पर्याप्त कारण" का उदारतापूर्वक व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन इसे असीमित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि अपीलकर्ता की ओर से लापरवाही, जानबूझकर निष्क्रियता या सद्भावना की कमी दिखाई देती है, तो देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता।

Sneh Gupta cuke Devi Sarup, (2009) 6 SCC 194

निर्णयः न्यायालय ने कहा कि यदि अपीलकर्ता को निर्णय की जानकारी पहले से थी और उसने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता।

Damodaran Pillai बनाम South Indian Bank Ltd- AIR 2005 SC 3460

निर्णयः सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि देरी को धारा 5 के अंतर्गत क्षमा नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों (Section 151 CPC) का उपयोग करके भी देरी को क्षमा नहीं कर सकता।

Rajendra Yadav बनाम Rajasthan State & Ors- Rajasthan High Court] 2017

निर्णयः राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अपीलकर्ता देरी के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं बता पाता है, तो धारा 5 के अंतर्गत देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता और अपील खारिज की जा सकती है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा की गई अपील को धारा 5 सीपीसी के अंतर्गत पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं करने की वजह से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द